न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 331/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/539

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

हनुमानाराम पुत्र लाधाराम
जाति जाट
निवासी गंगाणियों की ढाणी, कालेवा
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील
पाटोदी व जिला बालोतरा

1.मगाराम पुत्र अचलाराम
2.अमराराम पुत्र अचलाराम
3.कलु पत्नी अचलाराम
4.दुरगा पुत्र आदुराम
5.भीखा पुत्र आदुराम
6.पारूदेवी पत्नी आदुराम
7.खेमाराम पुत्र लिखमाराम
8.मगाराम पुत्र लिखमाराम
जाति जाट निवासी निवासी गंगाणियों
की ढाणी, कालेवा तहसील पाटोदी
9.किशनाराम पुत्र देवाराम
10.टीकू पुत्र देवाराम
11.नैना पुत्र देवाराम
12.पदमा पुत्र वेहनाराम
13.हीरा पुत्र वेहनाराम
14.लिखमाराम पुत्र वेहनाराम
जाति जाट निवासी श्रीराम देवनगर,
कालेवा तहसील पाटोदी जिला बालोतरा
15.हिमता पुत्र हरचंद
16.रूगा पुत्र चुतराराम नाबालिग जरिए
कुदरती वली पिता चुतराराम
17.नारणा पुत्र अचलाराम
18रामा पुत्र अचलाराम
19.ताजा पुत्र अचलाराम
20.ईमरती पत्नी अचलाराम
21.चौथा पुत्र गोकलराम
22.देवा पुत्र गोकलराम
23.चैना पुत्र गोकलराम
24केशा पुत्र नत्थाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

25.चीमा पुत्र नत्थाराम

26.पोला पुत्र नत्थाराम

27रूपा पुत्र नत्थाराम

28.रहीमा पुत्र नत्थाराम

जाति जाट निवासी साजियाली मूलराज सैकण्ड,तहसील पाटोदी जिला बालोतरा

29.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री नारायणसिंह भाटी व श्री विक्रमकुमार अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 12 से 14 अधिवक्ता

3.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 18 से 23

3.विप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 15 से 17 एवं 24 से 29 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 06/12/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 428 क्षेत्रफल 12.4805 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 853/429 क्षेत्रफल 1.5459 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 428 क्षेत्रफल 12.4805 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 853/429 क्षेत्रफल 1.5459 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 12 से 14 व 18 से 23 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। उक्त विप्रार्थी अधिवक्तों को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। शेष विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 12 से 14 व 18 से 23 अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 428 क्षेत्रफल 12.4805 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 853/429 क्षेत्रफल 1.5459 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगडालू प्रवृति के होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 428 क्षेत्रफल 12.4805 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 853/429 क्षेत्रफल 1.5459 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्तों नें वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नही की गई है। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी की जाती है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान की नियत से आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। अतः में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 428 क्षेत्रफल 12.4805 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 853/429 क्षेत्रफल 1.5459 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2080–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड ख़ातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर विवादित आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है,जिससे साबित होता हो कि सीमाओं को लेकर विवाद हो। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 428 क्षेत्रफल 12.4805 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 853/429 क्षेत्रफल 1.5459 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

06/12/24

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा